भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3770

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आंध्र प्रदेश में 'प्रसाद' योजना

†3770. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रसाद' योजना के अंतर्गत अन्नावरम मंदिर परियोजना की स्थिति क्या है और इसकी स्वीकृति की तिथि, आवंटित बजट और कार्यान्वयन की वर्तमान अवस्था क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में चल रही 'प्रसाद' परियोजनाओं के पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से 'प्रसाद' के अंतर्गत शामिल करने के लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस संबंध में उक्त प्रस्ताव पर विचार की स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में 'प्रसाद' परियोजनाओं के समय पर निष्पादन और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय "तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान" (प्रशाद) के तहत चिह्नित तीर्थ स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से विकास के लिए की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, अर्थात् अमरावती शहर, गुंटूर जिले का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास, श्रीसैलम मंदिर का विकास, विशाखापत्तनम मंदिर में सिम्हाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम और अन्नावरम मंदिर शहर में विकास और तीर्थ पर्यटन अवरंचना के विकास और प्रशाद योजना के तहत नेल्लोर जिले में वेदगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की भी पहचान की है।

(ख): 02.12.2024 को 25.32 करोड़ रु. की लागत से 'अन्नावरम मंदिर नगर में तीर्थ पर्यटन अवसंरचना का विकास' परियोजना स्वीकृत की गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि कार्य के निष्पादन के लिए स्वीकृति पत्र 12.03.2025 को जारी किया गया है।

(ग): उक्त योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रशाद योजना के तहत परियोजनाओं का विकास और पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे सफलतापूर्वक निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की क्षमता, समय पर परियोजना नियोजन और डिजाइनिंग, आवश्यक निर्माण मंजूरी प्राप्त करना आदि।

(घ): पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों के पूरा होने और निधियों की उपलब्धता के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ड.): यद्यपि परियोजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, तथापि, पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से उनकी प्रगति की निगरानी करता है तथा संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन्हें पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने तथा उसमें तेजी लाने तथा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को मार्गदर्शन देने के लिए पर्यटन मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

*****